


NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH



Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No : 105/NCRES/19

Date : 07.04.2019

श्रीमान प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, इलाहाबाद

विषय:— आगरा मंडल मे कार्यरत मुख्य लोको निरीक्षक के वेतन की विसंगति को दूर करने के लिये स्टेपिंग अप का लाभ देना।

महोदय,


छठा वेतन आयोग लागू होने के पश्चात दिनांक 01.01.2006 के पूर्व CLI (GP-4600 Level 7) के पद पर प्रोन्नत हुये कर्मचारियों का वेतन दिनांक 01.01.2006 के बाद प्रोन्नत हुये CLI के वेतन के बराबर करने के लिये स्टेपिंग अप का लाभ देने का आदेश रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र संख्या E(P&A)II/2008/RS-37 दिनांक 24.07.2009 RBE No. 236/2009 द्वारा जारी किया था।

सातवां वेतन आयोग लागू होने के पश्चात भी वेतन विसंगतियां दूर करने हेतु रेलवे बोर्ड द्वारा दिनांक 28.07.2016 को RBE No. 90/2016 जारी किया गया जिसके पैरा 10 में विस्तृत विवरण देकर स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 01.01.2016 के पूर्व किसी उच्चतर पद पर प्रोन्नत वरिष्ठ रेल सेवक को दिनांक 01.01.2016 के बाद प्रोन्नत किये गये कनिष्ठ कर्मचारियों से कम वेतन मिलता है तो वरिष्ठ रेल सेवक का वेतन कनिष्ठ को मिल रहे वेतन के बराबर कर दिया जायेगा, और उत्तर मध्य रेलवे के इलाहाबाद व झांसी मण्डल ने इसका अनुपालन कर वेतन विसंगतियां दूर भी किया है।

खेद के साथ अवगत कराना है कि RBE 90/2016 का पालन उत्तर मध्य रेलवे के इलाहाबाद और झांसी मण्डल ने किया लेकिन आगरा मण्डल ने नहीं किया जिसके कारण आगरा मंडल में दिनांक 01.01.2016 के पूर्व CLI के पद पर प्रोन्नत कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2016 के बाद CLI के पद पर प्रोन्नत कनिष्ठ कर्मचारियों के वेतन से कम मिल रहा है।

इलाहाबाद व झांसी मंडल की तरह आगरा मंडल भी RBE 90/2016 के तहत इस विसंगति को स्टेपिंग अप का लाभ देकर दूर कर सकता था लेकिन आगरा मंडल ने निर्णय हेतु इस मामले को मुख्यालय भेजा है जो काफी दिनों से मुख्यालय में लम्बित है।

अतः NCRES का अनुरोध है कि रेलवे बोर्ड द्वारा जारी RBE 90/2016 दिनांक 28.07.2016 के अनुपालन में आगरा मंडल को निर्देश जारी करने का कष्ट करें ताकि वरिष्ठ कर्मचारियों का वेतन स्टेपिंग अप का लाभ देकर कनिष्ठ कर्मचारियों के वेतन के बराबर किया जा सके।


(आर. पी. सिंह)
महामंत्री